न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–21 / 2024

प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–09.05.2024

निर्णय दिनांक–19.12.2025

1. गिरिराज पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा निवासी ग्राम सीसोला, तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम सीसोला, तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

अधिवक्ता प्रार्थी–श्री नन्दकिशोर शर्मा एड0

श्री हेमराज गुर्जर एड0

अप्रार्थी–पैरोकार सरकार तहसीलदार पीपलू

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. 1956

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 735 / 128 रकबा 0.1265 हैक्ट. वाके ग्राम सिसोला, पटवार हल्का नाथडी, तह0 पीपलू में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण के नाम जब उक्त भूमि नाम लगी तो प्रार्थीगण का नाम गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा दर्ज करवाया गया था, लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रार्थीगण का नाम गिर्राज पुत्र बजरंगा व पानी पत्नि गिर्राज कर दिया गया। जबकि प्रार्थीगण का सही नाम गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा है तथा दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजो में प्रार्थीगण का नाम गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा दर्ज है। अतः प्रार्थीगण का नाम गिर्राज पुत्र बजरंगा व पानी पत्नि गिर्राज की जगह

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

पर गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण को गांव में गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा के नाम से ही जानते है। ग्राम सीसोला में गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा के नाम से अन्य कोई व्यक्ति व महिला नही है तथा प्रार्थीगण के सभी दस्तोवजो में गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा है, जो सही है। राजस्व रिकॉर्ड में संहवन से गिरिराज पुत्र बजरंगलाल के स्थान पर गिर्राज पुत्र बजरंगा व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा के जगह पानी पत्नि गिर्राज को दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ख0न0 735/128 रकबा 0.1265 हैक्ट. वाके ग्राम सिसोला, पटवार हल्का नाथडी में स्थित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम गिर्राज पुत्र बजरंगा व पानी पत्नि गिर्राज की जगह पर गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा किये जाने के आदेश फरमावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट व जवाब चाहा गया। तहसीलदार पीपलू ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सिसोला के नामान्तकरण संख्या 430 से गिर्राज पुत्र बजरंगा, पानी पत्नि गिर्राज जाति मीणा सा.देह गैर खातेदार आवंटन दिनांक 22.12.2001 से आवंटन का नामान्तकरण दर्ज हुआ था। अतः आज तक वर्तमान जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 430 अनुसार गिर्राज पुत्र बजरंगा; पानी पत्नि गिरार्ज सा.देह खातेदार चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, जॉब कार्ड में प्रार्थी का नाम गिरिराज पुत्र बजरंगा व रेखा देवी पत्नि गिरिराज दर्ज है। प्रार्थी के शपथ पत्र व ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के अनुसार गिर्राज पुत्र बजरंगा व गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व पानी पत्नि गिर्राज व रेखा देवी पत्नि गिरिराज एक ही व्यक्ति है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया कि भूमि आराजी ख0न0 735/128 रकबा 0.1265 हैक्ट. वाके ग्राम सिसोला में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण के नाम जब उक्त भूमि नाम लगी तो प्रार्थीगण का नाम गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा दर्ज करवाया गया था, लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रार्थीगण का नाम गिर्राज पुत्र बजरंगा व पानी पत्नि गिर्राज कर दिया गया। जबकि प्रार्थीगण का सही नाम गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा है तथा दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजो में प्रार्थीगण का नाम गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा दर्ज है। प्रार्थीगण को गांव में गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा के नाम से ही जानते है। ग्राम सीसोला में गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा के नाम से अन्य कोई व्यक्ति व महिला नही है तथा प्रार्थीगण के सभी दस्तोवजो में गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा है, जो

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

सही है। राजस्व रिकॉर्ड में संहवन से गिरिराज पुत्र बजरंगलाल के स्थान पर गिर्राज पुत्र बजरंगा व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा के जगह पानी पत्नि गिर्राज मीणा अंकित कर दिया गया है, जो दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। उक्त त्रुटी एक लिपिकीय त्रुटी है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में गिर्राज पुत्र बजरंगा व पानी पत्नि गिर्राज की जगह पर गिरिराज पुत्र बजरंग लाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ख0न0 735/128 रकबा 0.1265 हैक्ट. वाके ग्राम सिसोला में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम गिर्राज पुत्र बजरंगा व पानी पत्नि गिर्राज की जगह पर गिरिराज पुत्र बजरंग लाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थी पैराकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि भूमि आराजी ग्राम सिसोला के नामान्तकरण संख्या 430 से गिर्राज पुत्र बजरंगा, पानी पत्नि गिर्राज जाति मीणा सा.देह गैर खातेदार आवंटन दिनांक 22.12.2001 से आवंटन का नामान्तकरण दर्ज हुआ था। अतः आज तक वर्तमान जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 430 अनुसार गिर्राज पुत्र बजरंगा, पानी पत्नि गिरार्ज सा.देह खातेदार चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, जॉब कार्ड में प्रार्थी का नाम गिरिराज पुत्र बजरंगा व रेखा देवी पत्नि गिरिराज दर्ज है। प्रार्थी के शपथ पत्र व ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के अनुसार गिर्राज पुत्र बजरंगा व गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व पानी पत्नि गिर्राज व रेखा देवी पत्नि गिरिराज एक ही व्यक्ति है। प्रार्थीगण अपने आवेदन को साक्ष्य सबूतो से स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में अंकित गिर्राज पुत्र बजरंगा व पानी पत्नि गिर्राज की जगह पर गिरिराज पुत्र बजरंग लाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज मीणा करवाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो के आधार पर अपना पक्ष रखते हुए न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

सरपंच ग्राम पंचायत नाथडी के प्रमाण पत्र अनुसार गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व रेखा पत्नि गिरिराज ग्राम सिसोला, ग्राम पंचायत नाथडी तह0 पीपलू के निवासी है। गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व गिर्राज पुत्र बजरंगा, रेखा देवी पत्नि गिरिराज व पानी पत्नि गिरिराज मेरी जानकारी अनुसार एक ही व्यक्ति है। गांव में इनके नाम के अलावा और कोई व्यक्ति नही है। इनको में व्यक्तिगत रूप से जानती हूं।

पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत नाथडी व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया व उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का सही नाम गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज जाति मीणा है, जबकि

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड भूमि आराजी 735/128 रकबा 0.1265 हैक्ट. वाके ग्राम सिरोला में प्रार्थीगण का नाम गिर्राज पुत्र बजरंगा व पानी पत्नि गिर्राज दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के त्रुटीपूर्ण नाम गिर्राज पुत्र बजरंगा व पानी पत्नि गिर्राज के स्थान पर **क्रमशः गिरिराज पुत्र बजरंगलाल व रेखा देवी पत्नि गिरिराज जाति मीना हिस्सा जमाबंदी अनुसार** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(गणपराज बुडगोती आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with OKEN Scanner